मेस संचालकों हेतु नियमावली

1. समस्त छात्रावास मेस संचालको को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी मेसों मे साफ–सफाई व स्वच्छता को विशेष रूप से बनाये रखें। ऐसा नहीं करनें की स्थिति में उन पर आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
2. वार्डेन एवं छात्रों की समिति द्वारा निर्धारित किये गये मीनू के अनुसार ही मेस संचालक भोजन उपलब्ध करायेंगे।
3. मेस मे कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को एक ड्रेस (यूनीफार्म), हेयर कैप, मास्क तथा हांथो मे दस्ताने पहनना अनिवार्य है, जिसकी उपलब्धता मेस संचालक करायेगें।
4. मेस संचालक किसी भी छात्र के कमरे मे भोजन नहीं पहुँचायेगा। छात्र के कमरे मे मेस की थाली/टिफिन पाये जाने पर मेस संचालक पर कार्यवाही की जायेगी।
5. सभी मेस संचालक अपनी–अपनी मेसों मे दो प्रकार के कूड़े के ड्रम (सूखे व गीले कचरे के लिये) अनिवार्य रूप से रखेगें, जिसमें सूखा व गीला कचरा एकत्रकर यथास्थान पर डालना होगा।
6. मेस मे कर्मचारियों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश एवं छात्र/छात्रों के अभिभावकों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति को खाना खिलाना पूर्णतः वर्जित है।
7. मेस के अन्दर, मेस संचालक/कर्मचारियों या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब व अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना दण्डनीय अपराध है, पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
8. सभी मेस संचालको को उनके मेस मे उपलब्ध सामग्री (भोजन के बर्तन, मेज, कुर्सी, पंखे, कूलर तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों) आदि की सूची बनाकर छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय मे जमा करना अनिवार्य है तथा प्राप्त सामग्री के रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेस संचालकों की होगी।
9. मेस बदलने पर मेस संचालकों को पूर्व में प्राप्त किये गये सामानों को यथा स्थिति मे वापस करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा जमा सिक्योरिटी धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।
10. मेस संचालकों को न्यूनतम 40 डाइट तथा अधिकतम 80 डाइट का भुगतान किया जायेगा। किसी भी छात्र की डाइट 80 से अधिक होने पर मेस संचसालक जिम्मेदार होंगे जिसका भुगतान मेस संचालक व छात्र के स्पष्टीकरण के पश्चात ही होगा।
11. मेस मे कार्यरत कर्मचारी आराम अथवा सोने हेतु मेस की मेजों का प्रयोग करना तथा बिस्तर आदि सामान भोजन कक्ष अथवा किचेन मे रखना पूर्णतः वर्जित है। यदि ऐसा पाया जाता है तो मेस संचालक पर कार्यवाही की जायेगी।
12. मेस मे मांसाहारी भोजन बनाना वर्जित है, पकड़े जाने पर मेस संचालक पर कार्यवाही की जायेगी।
13. थाली मे बचे भोजन को नाली मे नहीं डाला जायेगा तथा अवशेष बची रोटी को मेस मे एकत्र नहीं किया जायेगा, ऐसा करनें पर कार्यवाही की जायेगी।
14. मेस मे कार्यरत कर्मचारियों की सूची (नाम, पता, मोबाइल न0, आधार न0) अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय मे जाम करना होगा।
15. वार्डेन समिति एवं छात्रों की संस्तुति पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेस संचालकों को सम्मानित किया जायेगा।

(अधिष्ठाता छात्र कल्याण)